

**जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०**

(संस्थापित वर्ष 1971 ई. में)

ज. वि. वित. निगम लि. (पब्लिक लिमिटेड), जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291-2651277 (दि.) फैक्स नं. 2651313

क्रमांक- प्रनि/जोविनिनि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य / प्रसं० 294 जोधपुर, दिनांक 16/6/2004


**आदेश**

**विषय:- कृषि पम्प सेटों के नूढ़े हुए विद्युत भार को नियमित करने की रवैच्छिक घोषणा  
दिनांक 31 अक्टूबर 2004 तक बढ़ाने के सम्बन्ध में।**

...

पूर्व में निगम द्वारा जनाहित में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बड़े हुए भार की 23 अप्रैल 2004 तक रवैच्छिक घोषणा करने पर कई शिकायतें दी गई थीं। दिनांक 29-5-2004 को सामान्य समिति की बैठक में कृषकों को अधिक राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा की योजना इस आदेश की तिथि से 31-10-2004 तक रहेगी तथा इस अवधि में जो कृषक अपने पम्प सेटों की भार वृद्धि की रवैच्छिक घोषणा करेंगे उनसे पूर्व में निर्धारित की गई स्वैच्छिक भार वृद्धि की योजना में लिये जाने वाले रुपये 750/- प्रति हार्ल पावर नहीं लिये जायेंगे। अन्य प्रावधान नियम के आदेश संख्या आर.ई.ओ. 16 दिनांक 14.6.2002 के अनुसार रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


  
16.6.04  
(आर.एस.चौधरी)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को करके सूचनायें प्रेषित हैं

- ❖ सचिव, ज. वि. निगम, जोधपुर।
- ❖ प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर / अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर / अजमेर।
- ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वितीय सलाहकार एवं लक्ष नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ संगणकीय मुख्य अभियन्ता (जी.जी.नं. / सी.जी.नं.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/गारे एवं सहा. नो.वा.एच.एम./सहाय्य प्रबन्ध/वाणिज्य/ मण्डली/बीएकरले) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / बीकानेर / शेखावाड़ / दुर्ग / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (इ.स.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी (फिर एवं सहा. / एम.एम./अंशदायी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- ❖ कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्यिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता ( / प्रबन्ध / विधि / स.अ.क.ता. / अंशदायी ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।  
(आप के अधिनियम कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा कनिष्ठ अभियन्ता की अधिलिखित प्रतिलिपी संलग्न है।)
- ❖ घोरसात प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम / अजमेर डिस्कॉम / अजमेर डिस्कॉम जोधपुर / अजमेर / अजमेर।
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
- ❖ निजी सचिव, आरक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि. जोधपुर को माननीय प्रबन्ध निदेशक के सूचनायें।
- ❖ उप अधीक्षक पुलिस (सहायक), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ प्रदीपसहा, मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ कम्पनी सचिव, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर / राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर।

जयप्रकाश/आईओ

  
16.6.04  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।